संख्या -40/9/84-2-2014-रिट 2/2010

प्रेषक,

हरिश्चन्द्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निबन्धक,
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,उ.प्र.,
सी-1, विक्रान्त खण्ड-1, गोमती नगर, लखनऊ ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 31 जनवरी, 2014

विषय मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित रिट पिटीशन (सिविल) 1022/89 आल इण्डिया जजेज एसोसिएशन बनाम यूनियन आफ इण्डिया में पारित आदेशों के अनुपालन में उ0प्र0 न्यायिक अधिकारियों को सेवानिवृत्ति के उपरान्त 62 वर्ष की आयु तक उपभोक्ता फोरम में तैनात करने हेतु उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विशेष सचिव, न्याय अनुभाग-1 (उच्च न्यायालय), उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-5685/सात-न्याय-1-13-9(डब्ल्यू)/2002, दिनांक 08 जनवरी, 2014 (अनुलग्नकों सहित छायाप्रति संलग्न) एवं अपने पत्र संख्या-966/एससीडीआरसी/अधि 40/10, दिनांक 25 मई, 2010 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में प्रकरण में शासन द्वारा संयुक्त निबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को भेजे गये पत्र संख्या-633/84-2-2010-रिट 2/2010, दिनांक 30 दिसम्बर, 2010 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में आख्या शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(हरिश्चन्द्र)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in